

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना के लिए आवेदन पत्र

निर्देश :- राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण जानकारी

- 1-राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना के अन्तर्गत आर्थिक सहायता गर्भवती महिलाओं को प्रथम दो जीवित बच्चों तक के लिए दी जायेगी बशर्ते कि सम्बन्धित महिला की आयु 19 वर्ष या इससे अधिक हो।
- 2- मातृत्व लाभ हेतु गर्भवती महिला का गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाला परिवार से संबन्धित होना चाहिए।
- 3- मातृत्व लाभ योजना अन्तर्गत आर्थिक सहायता की एक मुश्त धनराशि 01-08-98 से 500.00 रू० कर दी गई है।
- 4- आर्थिक सहायता का भुगतान प्रसव के 8 से 12 सप्ताह पूर्व किया जायेगा।
- 5- राष्ट्रीय मातृत्व लाभ हेतु पात्र व्यक्तियों का चयन ग्राम पंचायत की खुली बैठक में किया जायेगा।
- 6- मातृत्व लाभ के लिए पात्रता के बारे आवेदक द्वारा झूठी अथवा गलत सूचना के आधार पर दिये गये भुगतान वसूल करने का अधिकार होगा।

आवेदन का प्रारूप

- 1- आवेदिका का नाम
- 2- पिता/पति का नाम
- 3- पूरा पता/मोहल्ला/ग्रामपोस्ट
- विकास खण्डतहसील जनपद
- 4- आवेदिका की उम्र
- 5- आवेदिका के जीवित बच्चों की संख्या
- 6- आवेदिका गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले
- परिवार के अन्तर्गत आती है अथवा नहीं।
- 7- बच्चा पैदा होने की संभावित तिथि
- दिनांक

लाभार्थी के ह०/नि०अं०

आवेदिका का शपथपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदन पत्र में क्रम संख्या 1 से 7 तक दी गई सभी सूचनाएं सही हैं। कोई भी तथ्य छुपाया नहीं गया है यदि आवेदन पत्र में दी गई सूचना गलत सिद्ध पायी जाये तो अनुदान की धनराशि वापस कर दूँगी।

लाभार्थी के ह०/नि०अं०

नाम

पति का नाम

पता

ए० एन० एम०/स्वास्थ्य कार्यकर्ता की रिपोर्ट

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती पत्नी श्री निवासी ग्राम पोस्ट की आयु 19 वर्ष या उससे अधिक है। इनके पास एक जीवित बच्चा है अथवा इसके पश्चात् इन्होंने पुनः गर्भ नहीं धारण किया है एवं बच्चे की सम्भावित जन्म तिथि है। जिनका वार्षिक पंजीकरण सं०(ए०एन०सी०) है।

ग्राम पंचायत की सत्यापन आख्या

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती पत्नी श्री..... ग्राम पंचायत की निवासी है। ए०एन०एम० की रिपोर्ट के अनुसार ये गर्भवती हैं। यह इनका प्रथम/द्वितीय गर्भ है। ग्राम पंचायत की खुली बैठक दिनांक को इनका चयन रा० मा० ला० यो० के अन्तर्गत किया गया है। ग्राम पंचायत श्रीमती को रू० 500/ की मातृत्व लाभ हेतु सहायता दिये जाने का अनुमोदन करती है।

(हस्ताक्षर)
ग्राम पंचायत अधिकारी
ग्राम पंचायत का नाम

क्षेत्र पंचायत

(हस्ताक्षर)
ग्राम प्रधान
ग्राम पंचायत का नाम

स्वीकृत – आदेश

इस योजना के अन्तर्गत स्वीकृतकर्ता अधिकारी अधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा अधिकारी हैं। जांचकर्ता अधिकारी/कर्मचारी की आख्या पर श्रीमतीपत्नी श्री निवासी को राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना के अन्तर्गत रू0 500/(पाँच सौ रुपये मात्र) की धनराशि स्वीकृत की जाती है।

दिनाँक

स्थान

प्रभारी चिकित्सा अधिकारी
ब्लाक स्तरीय स्वास्थ्य केन्द्र
स्वीकृतकर्ता अधिकारी

नाम

पदनाम

सील

वि०ख०

प्राप्ति रसीद

मैं पत्नी श्री निवासी ग्राम पोस्ट तहसील जनपद उन्नाव अधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सुलतानपुर से धनराशि रू0 500/(पाँच सौ रुपये मात्र) राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना के अन्तर्गत प्राप्त किया।

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा

नाम

पता